UPGK010020152026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 900/2026

गुड्डी उर्फ गुडिया पत्नी रामानन्द, निवासिनी- सोचन, ग्राम- लक्ष्मणपुर, थाना- चौरीचौरा, जिला- गोरखपुर। ....**आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 34/2026
अंतर्गत धारा- 191(2), 115(2), 125, 351(2), 351(3), 110 B.N.S.
थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 08.04.2026

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 34/2026, अंतर्गत धारा- 191(2), 115(2), 125, 351(2), 351(3), 110 B.N.S., थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्ता का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि सुबह लगभग 11 बजे वादी का भाई राजेश व भतीजी अर्चना नये मकान पर नीव खुदाई के लिए गये थे। इसी बीच घात लगाकर व गोलबंद होकर रामानंद, परमानंद, परशुराम, विवेक, विशाल, रामू, गुड्डी, सरिता व चानमती वादी के भाई व भतीजी पर लोहे की राड, डंडा, ईट-पत्थर से जानलेवा हमला कर दिये, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आयी। दोनों अचेत हो गये। इस स्थिति को देखते हुए सब लोग वादी के घर के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी सर्वदा निर्दोष एवं निरपराध है, असत्य कथनों के आधार पर उसे उक्त मामले में लिप्त किया गया है। कथित अपराध में प्रार्थिनी संलिप्त नहीं थी न ही उक्त घटना से कोई वास्ता सरोकार है। वादी मुकदमा द्वारा जो भी आरोप लगाये हैं वह पूर्णतः मनगढन्त व काल्पनिक है। उक्त मामले में प्रार्थिनी की तरफ से क्रास एफ०आई०आर० मु0अ0सं0-41/2026, धारा-191(2), 115(2), 333, 352, 351(2), 351(3) बी०एन०एस० में दर्ज कराया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी ने अपने बीच-बचाव में हाथ पैर चलाया था सहअभियुक्त का हाथ टूट गया व प्रार्थिनी को भी चोटे आयी हैं। उक्त मामले में डाक्टर के बयान में भी उक्त चोट से जान जाने का कोई खतरा नहीं बताया गया है तथा डाक्टर की राय में उक्त चोटें भी सामान्य प्रकृति की बताई गई है। उक्त मामले में वादी मुकदमा द्वारा जमीनी विवाद को लेकर कहा-सुनी हुई, जिसमें वादी मुकदमा एक जुट होकर प्रार्थिनी के परिवार के ऊपर हमला कर दिये जिसमें बीच बचाव के दौरान दोनो

पक्षों को सामान्य चोटें आई। चिकित्सीय साक्ष अभियोजन पक्ष के कथनों का समर्थन नहीं करता है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में जमीनी विवाद की बात स्वयं करता है, प्रार्थिनी एवं वादी मुकदमा पड़ोसी हैं, जो वादी मुकदमा जमीमनी बंटवारे को लेकर पुरानी रंजिश के तहत पुलिस की मिलीभगत से मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा तथा प्रार्थिनी पडोसी हैं जो कि अपनी बात मनवाने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा मुकदमा दर्ज करवा दिया है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहती है। उपरोक्त के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तागण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई व भतीजी पर जान स मारने की नियत से हमला कर उन्हें मार पीटकर बुरी तरह घायल किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्ता अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर वादी, अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तागण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई एवं भतीजी पर लोहे की राड, डंडा, ईट-पत्थर से हमला कर उनके आपराधिक मानव वध के प्रयत्न का अभियोग है। केस डायरी में अंकित वादी मुकदमा, चोटहिल एवं अन्य साक्षीगण के बयान के अनुसार उक्त साक्षीगण द्वारा अपने उक्त बयान में आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अभिकथित घटना कारित किये जाने का कथन किया गया है, जिसमें आयी चोटों के कारण मजरूब अर्चना फूट गयी, जो प्रथम दृष्टया प्रस्तुत मामले में आवेदिका/अभियुक्ता की संलिप्तता को दर्शाता है।आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि उसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित कराने के आशय से प्रस्तुत मामले में झूठा संलिप्त किया गया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता गुड्डी उर्फ गुडिया द्वारा मु०अ०सं०- 34/2026, अंतर्गत धारा- 191(2), 115(2), 125, 351(2), 351(3), 110 B.N.S., थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-08.04.2026</u>

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1,
गोरखपुर

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.04.08 16:25:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court